

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

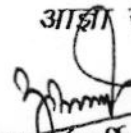
कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 437 / 2022

दिनांक : 09.02.2022

श्री सुरेशचन्द बंसल (RJ0251), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 10.01.2022 से 25.01.2022 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री बंसल की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही की गई ।

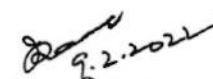
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 08.02.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/66/1996/ 913

दिनांक : 09.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 06 दिनांक 27.01.2022 के सन्दर्भ में ।
4. श्री सुरेशचन्द बंसल (RJ0251), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा ।


सहायक रजिस्ट्रार